न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
43/2013	दावा 88, 188 RTA	06.05.2013	07.09.2018

1. इस्माइल
2. शौकत
3. अब्दुलरहमान

पुत्रगण मनु जाति तेली निवासीगण चूरू तहसील वा जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. सतार
2. सरवर
3. अनवर
4. खुशीमोहम्मद

पिसरान लालमोहम्मद

5. जाफर
6. गुलाम
7. इब्राहिम
8. साबीर

पिसरान उमरदीन

जाति तेली निवासीगण चूरू तहसील वा जिला चूरू

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित —
1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत वादीगण
2. अधिवक्ता श्री अब्दुलगफार प्रतिवादी सं. 5 से 8
3. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 कस्बा चूरू के रहने वाले हैं तथा जमाल पुत्र इलाहीबक्स तेली निवासी चूरू के वारिसान हैं। वादीगण जमाल के पुत्र मनु के पुत्र हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 जमाल के पुत्र अब्दुला के पुत्र लालमोहम्मद के पुत्र हैं तथा प्रतिवादीगण सं. 5 से 8 जमाल के पुत्र उमरदीन के पुत्र हैं। इस प्रकार से वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 जमाल के वारिसान हैं। यह कि कृषि भूमि साबिक ख.नं. 96 हाल ख.नं. 929 तादादी 1 बीघा 5 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू वादीगण के दादा जमाल पुत्र इलाहीबक्स के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि थी। ख.नं. 96 का रकबा 65 बीघा 2 विश्वा खाम था जिसके अन्य खसरा भी बने हैं जिनका विभाजन होकर हाल ख.नं. 929 तादादी 1 बीघा 5 विश्वा वादीगण के पिता मनु के हिस्से पांती वा कब्जा काश्त में रखी गई थी। वादीगण के पिता मनु का देहान्त होने के पश्चात् वादीगण इस भूमि को काश्त करते आ रहे हैं तथा खेत के च रों तरफ सींव पर पट्टियां लगा रखी हैं तथा इस भूमि को वादीगण हर प्रकार से अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। इस खेत की जमाबन्दी सम्वत् 2008 से 11, जमाबन्दी सं. 2016 से 19 की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि वादीगण के दादा जमाल का देहान्त दिनांक 23.06.1969 को कस्बा चूरू में हो चुका है तथा उनके पुत्र मनु, उमरदीन वा अब्दुला का भी देहान्त हो चुका है। यह कि वादगत कृषि भूमि काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से वादीगण के दादा जमाल के खातेदारी वा कब्जा काश्त में चली आ रही थी मगर चूरू में सैटलमेण्ट सम्वत् 2024 से 2027 के दरमियान हुआ उस वक्त महकमा सैटलमेण्ट के कर्मचारियों वा अधिकारियों ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वादगत कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण के दादा के नाम से हटाकर कस्टोडियन विभाग भारत सरकार के नाम अनाधिकृत रूप से कर दी जबकि जमाल भारत का नागरिक था तथा मृत्यु पर्यन्त भारत में ही रहा था तथा उनका देहान्त कस्बा चूरू में हुआ था ऐसी सूरत में विदेश गमन ना करने के कारण वादगत कृषि भूमि कस्टोडियन विभाग के नाम से सैटलमेण्ट के दौरान गलत खातेदारी में अंकित कर दी गई जो राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां शुरू से ही शून्य वा गलत हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यु प्रॉपर्टी एक्ट 1950 की धारा 7 ए के मुताबिक दिनांक 07.05.1954 के पश्चात् कोई सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित नहीं की जा सकती जबकि इस प्रकरण में सैटलमेण्ट अधिकारी द्वारा सम्वत् 2024 यानि सन् 1967 में रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि अंकित कर दी गई जो सर्वथा गलत, गैरकानूनी वा अवैध है। इसके अलावा खातेदार भारत में ही रहा है यहीं मृत्यु हुई है, ऐसी सूरत में वादगत भूमि को कस्टोडियन भूमि के रूप में खातेदारी में अंकित किया ही नहीं जा सकता था तथा महकमा सैटलमेण्ट को खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का, हटाने का या किसी अन्य नाम से जोड़ने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। इस प्रकार से वास्तविकता में यह कृषि भूमि वादीगण के ही खातेदारी वा कब्जा काश्त में चली आ रही है। यह कि कस्टोडियन विभाग भारत सरकार के नाम से गलत खातेदारी कायम हो जाने के पश्चात् उक्त महकमा समाप्त कर दिया गया तथा साधारण आदेश के द्वारा कस्टोडियन भूमियों को सिवाय चक दर्ज करने के राज्यादेश की पालना में वादगत भूमि की खातेदारी वर्तमान में सिवाय चक के नाम से गलत राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है, जिसे दुरूस्त करवाना वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है जिसके लिए वादीगण यह घोषणात्मक दावा पेश कर रहे हैं।

यह कि वादगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी वा कब्जा काश्त की है जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अब सिवाय चक के रूप में खाता कायम हो जाने के कारण तहसीलदार चूरू बिना कार्यवाही के ही वादीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं तथा पटवारी हल्का द्वारा मौके पर एलानिया धमकी दी जा रही है कि पट्टियां उखाड़ कर ले जाओ अन्यथा जबरन ले जावेंगे जबकि प्रतिवादी सं. 9 को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण सरकार का मुकाबला बल प्रयोग से करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जरिए डिग्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि वो वादीगण को बेदखल ना करें, ना वादीगण के कब्जा काश्त में दखल करें, जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि वादीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार मानकर उनके कब्जे काश्त में दखल न करें मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व आखिर दिनांक 25.04.13 को प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए, लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादीगण को भूमि मजकूर का नियमानुसार खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त है। यह कि वादगत कृषि भूमि सिवाय चक राजकीय भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, इस कारण दावा में मुख्य घोषणा का अनुतोष राज्य सरकार प्रतिवादी सं. 9 के विरूद्ध ही चाहा गया है। कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का 60 दिवस अवधि का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है मगर इस प्रकरण की परिस्थितियां आपातिक हैं

उपखण्ड अधिकारी

क्योंकि तहसीलदार चूरू बलपूर्वक बेदखल करने पर उतारू है ऐसी स्थिति में नोटिस देने की सूरत में वादीगण को बेदखल कर दिया जावेगा, जिससे दावा पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इसलिए तुरन्त अनुतोष प्राप्त करने के लिए तुरन्त दावा पेश करना आवश्यक होने के कारण अदालतवाला की पूर्व अनुमति प्राप्त कर बिना नोटिस के ही यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि निवास स्थान फैरीकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि हाल ख.नं. 929 तादादी 1 बीघा 5 विश्वा रोही कस्बा चूरू वादीगण के खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है तथा इसी के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

(ख) जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवाम प्रतिवादीगण सं. 9 को वर्जित किया जावे कि वे उपमद क में अंकित कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल न करें, ना वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करें, ना अन्य ऐसा कार्य या उपकार्य करें जिससे वादीगण के हक अधिकार वा कब्जे काश्त पर विपरीत अस पड़ता हो।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 से 8 स्वयं उपस्थित हुए एवं श्री अब्दुलगफार एडवोकेट का वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 9 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 4 पर तामील होने बाद भी उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली काफी समय तक जवाबदावा में लम्बित रही परन्तु प्रतिवादीगण व पैरोकार राज की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अन्ततः दिनांक 10.02.16 को जवाबदावा बन्द किया जाकर साक्ष्यवादी हेतु समय दिया गया।

साक्ष्यवादी में वादीगण की ओर से गवाहान के साक्ष्य शपथ पत्र PW-1, PW-2, PW-3 पेश किये। जिरह हेतु वकील प्रतिवादीगण को असीमित अवसर प्रदान किये गये परन्तु जिरह नहीं की गई। वादीगण की साक्ष्य समाप्त की जाकर प्रतिवादीगण व पैरोकार राज को साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु अवसर दिये गये। इस दौरान आवश्यक, अन्तिम एवं स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर प्रदान किये गये परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान दावा में अंकित कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत भूमि की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 कस्बा चूरू के साबिका ख.नं. 96 के अनुसार जमाल पुत्र इलाहीबक्स तेली सा. चूरू के नाम खातेदारी का अंकन है। नकल खसरा भू–प्रबन्ध विभाग से साबिका ख.नं. 96 मी. तादादी 1.05 बीघा से वर्तमान ख.नं. 929 बना होना प्रमाणित है तथा उक्त भूमि को जमाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

इलाहीबक्स की खातेदारी से हटाकर राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार कस्टोडियन विभाग के नाम अंकित किया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 में जमाल की खातेदारी का अंकन है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2008 से 2011 में वादगत कृषि भूमि जमाल वल्द इलाहीबक्स तेली के नाम खातेदारी अंकित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 के कॉलम सं. 16 में '' राष्ट्रपति भारत गणराज्य (सरकार) खसरा नम्बर 96 मी. 21.17 बीघा इन्तकाल नम्बर 415'' अंकित है। यह अंकन नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से 2027 व 2028 से 2031 में मौजूद है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2006 से 2010 में जमाल की खातेदारी व कब्जा काश्त अंकित है। छाया प्रति मृत्यु प्रमाण जमाल पुत्र इलाईबक्स में जमाल की मृत्यु वार्ड नं. 7 चूरू में दिनांक 23.06.1969, वादीगण के पिता मन्नु की मृत्यु दिनांक 06.06.95 को, प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता लालमोहम्मद की मृत्यु दिनांक 02.11.08 को यहीं पर होना अंकित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में उक्त वादगत कृषि भूमि की खातेदारी सिवायचक (पुनर्वास विभाग की भूमि) के नाम अंकित है जिसको दुरूस्त करवाने के लिए हमने यह दावा पेश किया है। इस दावा में मूल प्रतिवादी राजस्थान सरकार सहित सभी प्रतिवादीगण ने असीमित अवसर दिये जाने के बावजूद ना तो जवाबदावा पेश किया है एवं ना ही विरोध में कोई साक्ष्य सबूत पेश किये हैं। हमने अपने दावा को साबित करवाने हेतु दस्तावेजात की नकलें प्रस्तुत की हैं तथा साक्ष्यवादी से उन्हें प्रमाणित कराया है। उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वादगत कृषि भूमि की खातेदारी व कब्जा काश्त वादीगण के पूर्वजों के समय से वादीगण का चला आ रहा है तथा आज भी बदस्तूर कायम है। वादीगण के पूर्वज आजीवन भारत में ही रहे हैं तथा उनका स्वर्गवास भी यहीं पर हुआ है। वादीगण भी यहीं निवास कर रहे हैं तथा भारत के नागरिक हैं। इसलिए जब वादीगण व उनके पूर्वज देश छोड़कर अन्यत्र नहीं गये, ऐसी सूरत में वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि को कस्टोडियन विभाग के नाम गलत रूप से अंकित किया गया है जो दुरूस्ती के काबिल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यु प्रॉपर्टी एक्ट 1950 की धारा 7 ए के मुताबिक दिनांक 07.05.1954 के पश्चात् कोई सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित नहीं की जा सकती जबकि इस प्रकरण में सैटलमेण्ट अधिकारी द्वारा सम्वत् 2024 यानि सन् 1967 में रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि अंकित कर दी गई जो सर्वथा गलत, गैरकानूनी वा अवैध है तथा वादीग्ण वादगत कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम से खातेदारी अंकित करवाने के अधिकारी हैं। अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने बहस के दौरान जाहिर किया कि वादीगण के पूर्वज पाकिस्तान चले गये हैं, इसलिए वादगत कृषि भूमि को सम्वत् 2024 में निष्क्रान्त घोषित किया जाकर कस्टोडियन विभाग के नाम सही रूप से अंकित की गई है। जो व्यक्ति भारत छोड़कर चले गये हैं, उनको पाकिस्तान में मुआवजा मिल चुका है। इसलिए वादगत भूमि को कस्टोडियन विभाग के नाम अंकित किया जाना उचित है। अतः दावा वादीगण खारिज योग्य है।

वकील वादीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ,वं बयानात गवाहान के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण के दादा स्व. जमाल की खातेदारी भूमि थी जो पारिवारिक विभाजन के बाद वादीगण के पिता मन्नु पुत्र जमाल के हिस्से में आई थी। स्व. जमाल एवं स्व. मन्नु आजीवन यहीं पर रहे हैं तथा इनका स्वर्गवास भी यहीं पर हुआ है। वादीगण स्व. मन्नु के वारिसान मौजूद हैं ऐसी सूरत में वादीगण के पिता के हिस्से में आई भूमि को कस्टोडियन विभाग के नाम अंकित किया जाना हम

उपखण्ड अधिकारी

न्यायोचित नहीं समझते हैं। उक्त वादगत भूमि को कस्टोडियन विभाग के नाम अंकित करने का कोई उचित कारण भी प्रतिवादी सं. 9 ने स्पष्ट नहीं किया है एवं ना ही जवाबदावा या इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख ही न्यायालय में पेश किया गया है। काफी अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी सं. 9 की ओर से कोई साक्ष्य या गवाह भी पेश नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी की होने से वादीगण इस भूमि के खातेदार काश्तकार हैं जबकि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सिवाय चक कस्टोडियन विभाग के नाम अंकित की गई है, जो गलत एवं शून्य है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 929 तादादी 1 बीघा 5 विश्वा रोही कस्बा चूरू की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. इस्माइल
2. शौकत
3. अब्दुलरहमान

पुत्रगण मनु जाति तेली निवासीगण चूरू तहसील वा जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. सतार
2. सरवर
3. अनवर
4. खुशीमोहम्मद

पिसरान लालमोहम्मद

5. जाफर
6. गुलाम
7. इब्राहिम
8. साबीर

पिसरान उमरदीन

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

जाति तेली निवासीगण चूरू तहसील वा जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 43 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब श्री अब्दुलगफार एडवोकेट व पैरोकार राज प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 929 तादादी 1 बीघा 5 विश्वा रोही कस्बा चूरू की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07 माह सितम्बर सन् 2018 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू